कार्यालय जोधपुरविकासप्राधिकरण, जोधपुर

रेलवेअस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर–342001

email- jdajodhpur/yahoo.com वेब–साईटjodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/3686 दिनांकः– 09/02/2023

–:कार्यवाही विवरणः–

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के अधिसूचना कमांक प.17(1) नविवि/अभियान/2021 दिनांक 25.11.2021 के द्वारा गठित जोन स्तरीय समिति के जोन 04 बैठक दिनांक 03.02.2023 को उपायुक्त (जोन 04) की अध्यक्षता में उनके कक्ष में सपन्न हुई जिसमें उपस्थित सदस्य/अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ–1 पर संलग्न है। बैठक में प्रस्तुत एजेण्डा पर लिये गये निर्णय निम्नानुसार हैः–

एजेण्डा संख्या	विषय
01.	राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 656 का पूर्व में अनुमोदित ले–आउट में शुद्विकरण करने के संबंध में।

निर्णय :– समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा बाद विचार विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

- ले–आउट प्लान में दर्शित भूखण्ड संख्या 120, 121 पूर्व में जिला स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति बैठक दिनांक 07.08.2008 के एजेण्डा संख्या 09 में भू–उपयोग पी.सी.बी. से आवासीय प्रयोजनार्थ किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- समिति निर्णय अनुसार इस खसरे का ले–आउट प्लान उप नगर नियोजक नगर विकास न्यास एवं उप नगर नियोजक वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्लान पर सभी प्रार्थीगणों के हस्ताक्षर करवाकर उनकी सहमति के आधार पर आवेदित भूखण्डों का परिधि नियन्त्रण पट्टी से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का निर्णय लिया गया था।
- समिति निर्णय दिनांक 07.08.2008 के क्रम में निर्णय का वर्तमान में वैधता बाबत विधिक टिप्पणी प्राप्त कर नियमानुसार भू–उपयोग परिवर्तन राशि जमा करवाये जाने की सुनिश्चितता तथा समिति निर्णय की पूर्ण रूप से पालना जोन उपायुक्त द्वारा की जावे।
- उपरोक्त की सुनिश्चितता उपरान्त जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 की रिपोर्ट के बिन्दु संख्यां 7.4 अनुसार सहवन से यदि पूर्व में की गई किसी स्वीकृति का समायोजन नहीं हो पाया है और ऐसी स्वीकृतियां जो सक्षम स्तर से सम्बन्धित विभागों द्वारा जारी की गई है तो ऐसी स्वीकृतियों को जोधपुर मास्टर डवलपमेन्ट प्लान–2031 में समायोजित माना जावेगा/ के परिपेक्ष्य में संशोधित ले–आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया।

एजेण्डा संख्या	विषय
02.	राजस्व ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 51/1, 51/2, 51/3 के भूखण्ड संख्या 2 से 5 प्रत्येक बनाप 200 वर्गगज एवं भूखण्ड संख्या 6 बनाप 266.66 वर्गगज, भूखण्ड संख्या 13 से 15 प्रत्येक बनाप 183.33 वर्गगज व भूखण्ड संख्या 16 बनाप 244.44 वर्गगज कुल बनाप 1860.97 वर्गगज का पुनर्गठन के संबंध में। प्रार्थी का नाम :– श्री पदम सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री किशन सिंह जी

- उक्त मौके पर निर्माण का नियमन/स्वीकृती नहीं है। अतः पट्टा विलेख जारी करते समय भवन विनियम के प्रावधानानुसार सेट बैक छोडे जाने होंगे तथा नियमानुसार भवन निर्माण स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।
- प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व, प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की सस्मत जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वंय की होगी। प्रार्थी से इस बाबत् शपथ–पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत् जोन स्तर पर शपथ–पत्र लेकर ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।
- समिति द्वारा एजेण्डा पर विचार विमर्श किये जाने तथा आवेदकों से मूल पट्टा विलेख प्राधिकरण के पक्ष में समर्पित करवाये जाने व जोन स्तर से पुनर्गठित भूखण्डों के नवीन पट्टा विलेख जारी किए जावें। साथ ही प्रकरण में जरिये आम सूचना प्रकाशित कर विज्ञिप्ति आमंत्रित की जावें तथा यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रकरण पुनः समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावें।

8/2 तहसीलदार (जोन 04) जोधपुर विकास प्राधिकरण	8/2/2023 सहायक नगर नियोजक(जोन 04) जोधपुर विकास प्राधिकरण	अधिशाषी अभियन्ता (जोन 04) जोधपुर विकास प्राधिकरण	उपायुक्त (जोन 04) जोधपुर विकास प्राधिकरण

क्रमांकः F37.(3)/नि.आ./जो.स्त.स./का.वि./2023/3687-3692.   दिनांकः– 09/02/2023

प्रतिलिपी :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
2. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
3. निदेशक (आयोजना) महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर
4. उपायुक्त जोन 04, जो.वि.प्रा., जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अधिशाषी अभियन्ता पूर्व, जो.वि.प्रा., जोधपुर
6. तहसीलदार जोन 04, जो.वि.प्रा., जोधपुर।

8/2/2023

सहायक नगर नियोजक (जोन04)
एवं सदस्य सचिव, जोन स्तरीय समिति
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर